

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

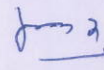
क्रमांक:- एफ.2 (क) (ए-262) अलेसे- I/841

दिनांक:- 04/03/2020

कार्यालय आदेश

श्री अशोक कुमार रांका, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 (लिंग नं. 4750) हाल पदस्थापित उपकोषालय, बडीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज, उदयपुर द्वारा श्री रांका के कार्यालय पंचायत समिति, बडीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) में कार्यरत अवधि के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं के लिए पंजीकृत अपराध संख्या 465/2014, अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी.) (डी.) सपटित धारा 13 (2), 15 पी.सी.एक्ट 1988 एवं 193, 477ए. व 120बी. भारतीय दण्ड संहिता, के संबंध में इस निदेशालय द्वारा अभियोजन स्वीकृति क्रमांक एफ.2 (क) (A-262) अलेसे- I/840 दिनांक 04.03.2020 जारी की जा चुकी है। अतः कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र प.2 (157) कार्मिक/क-3/97 दिनांक 07.07.2010 के अनुसरण में श्री अशोक कुमार रांका, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 कार्यालय उपकोषालय, बडीसादड़ी (चित्तौड़गढ़) को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

श्री अशोक कुमार रांका, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। निलम्बन काल में श्री अशोक कुमार रांका, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 का मुख्यालय कोषालय, भीलवाड़ा रहेगा तथा वे नियमित रूप से मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति अंकित करेंगे।


निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (ए-262) अलेसे- I/841

दिनांक:- 04/03/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- ✓ 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज, उदयपुर।
- 3 कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़।
- 4 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 5 संयुक्त निदेशक, विधि/जांच, कार्यालय हाजा।
- 6 उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 7 श्री अशोक कुमार रांका, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1, कार्यालय उपकोषालय, बडीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)